Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE No. 164/2010
Training Manual
Correction Slip No.1/2010

No. E(MPP)2004/3/8

New Delhi, dated 24 .11.2010

The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units
CORE/Allahabad
RDSO/Lucknow
Metro Railway/Kolkata
COFMOW/New Delhi

Sub: - Training period of Skilled Artisans

In terms of Board's letter of even number dated 11.03.2008(RBE No.34/2008) and 30.04.08(RBE.No.61/2008, para 159(3) of Indian Railway Establishment Manual Vol.I(1989 Edition) has been amended as under: -

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Course Completed Act Apprentices Trained in Railway Establishments | Nil |
| (b) | Course Completed Act Apprentices Trained in non-Railway Establishments | 6 months |
| (c) | Diploma Holders | 6 months |
| (d) | ITI Passed candidates | 6 months |
| (e) | Matriculate or any non-technical Higher qualification | 3 years |
| (f) | Degree holders in their relevant fields | 6 months |

2. The matter has been reviewed in the light of relevance of a trade to Railway working and after due deliberations, the following clarification is being issued: -

> "The Compassionate Ground Appointees(CGA) holding degree/diploma/ITI qualification in the relevant railway related trade, if he/she gets appointed as Skilled Artisan in the trade in which he/she has acquired his/her degree/diploma/ITI they will undergo training for 6 months. In case of CGA degree/diploma/ITI appointed as Skilled Artisan in a trade different than that acquired by them, will have to undergo 3 years training. Practical training should be undertaken in shop floor and not in classrooms."

3. The Indian Railway Establishment Manual Vol.I (1989 Edition) is accordingly amended as in Advance Correction Slip No.2/6enclosed.

4. The Ministry of Railways have decided that the Manual on Management of Training may be amended as per attached Advance Correction Slip No.1/2010.

(Anil Wason)
Dy. Director(MPP)
Railway Board

....2/-

No.E(MPP)/2004/3/8

New Delhi, dated 24-11-2010

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares
5. The Secretary RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.462, Rail Bhavan.
6. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
7. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.

For Secretary/Railway Board.

Copy to:

CRB, FC, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF), AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC®, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)III and Budget Branches of Railway Board

Indian Railway Establishment Manual Vol.I (1989 Edition)

Advance Correction Slip No: 216

Insert the following Note under para 159(3) of Sub-Section-III of Section'B' Chapter-I of the Indian Railway Establishment Manual Vol.I (1989 Edition).

"NOTE: The Compassionate Ground Appointees(CGA) holding degree/diploma/ITI qualification in the relevant railway related trade, if he/she gets appointed as Skilled Artisan in the trade in which he/she has acquired his/her degree/diploma/ITI they will undergo training for 6 months. In case of CGA degree/diploma/ITI appointed as Skilled Artisan in a trade different than that acquired by them, will have to undergo 3 years training. Practical training should be undertaken in shop floor and not in classrooms."

(Authority: Railway Board's letter No.E(MPP)2004/3/8 dated 24.11.10)

Manual on Management of Training
(June 1998)

Advance Correction Slip No.1/2010

Item No.VII of appendix II of the Manual on Management of Training (Edition1998) may be replaced as under:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Course Completed Act Apprentices Trained in Railway Establishments | Nil |
| (ii) | Course Completed Act Apprentices Trained in non-Railway Establishments | 6 months |
| (iii) | Diploma Holders | 6 months |
| (iv) | ITI Passed candidates | 6 months |
| (v) | Matriculate or any non-technical Higher qualification | 3 years |
| (vi) | Degree holders in their relevant fields | 6 months |

"NOTE: The Compassionate Ground Appointees(CGA) holding degree/diploma/ITI qualification in the relevant railway related trade, if he/she gets appointed as Skilled Artisan in the trade in which he/she has acquired his/her degree/diploma/ITI they will undergo training for 6 months. In case of CGA degree/diploma/ITI appointed as Skilled Artisan in a trade different than that acquired by them, will have to undergo 3 years training. Practical training should be undertaken in shop floor and not in classrooms."

(Authority: Railway Board's letter No.E(MPP)2004/3/8 dated 24.11.10)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 166 /2010
प्रशिक्षण नियमावली

सं.ई (एमपीपी)/2004/3/8

नई दिल्ली, दिनांक: 24 .11.2010

**महाप्रबंधक**
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयों सहित
कोर/इलाहाबाद.
अअमासं/लखनऊ.
मेट्रो रेलवे/कोलकाता.
कॉफमो/नई दिल्ली.

**विषयः कुशल कारीगरों की प्रशिक्षण अवधि.**

बोर्ड के दिनांक 11.3.2008 (आर बी ई सं. 34/2008) और 30.4.08 (आर बी ई सं. 61/2008) के समसंख्यक पत्र के अनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के पैरा159 (3) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके "एक्ट अप्रेंटिस" | कुछ नहीं |
| (ख) | गैर-रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके "एक्ट अप्रेंटिस" | 6 माह |
| (ग) | डिप्लोमा धारक | 6 माह |
| (घ) | आई.टी.आई पास उम्मीदवार | 6 माह |
| (ड.) | मैट्रिकुलेट अथवा गैर-तकनीकी उच्च अर्हता प्राप्त | 3 वर्ष |
| (च) | संगत फील्ड में डिग्री धारक | 6 माह |

2. रेलवे कार्यप्रणाली के लिए ट्रेड के मद्देनज़र इस मामले की समीक्षा की गई है और यथोचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है:-

" अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवार, जिनके पास रेलवे से संबंधित संगत ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है और यदि वह उस ट्रेड में जिसमें उन्होंने डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता प्राप्त की है, कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त होता है /होती है तो उसे 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त उन उम्मीदवारों के मामले में जिनके पास किसी अन्य ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है, तो उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. व्यावहारिक प्रशिक्षण कक्षाओं में न होकर शॉप फ्लोर (कारखाने) में होगा."

3. भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 216 के अनुसार संशोधित किया गया है.

4. रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 1/2010 के अनुसार प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली को संशोधित किया जाए.

(अनिल वासन)
अ निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं.ई (एमपीपी)/2004/3/8

नई दिल्ली, दिनांक: 24.11.2010

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
3. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
4. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
5. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.462, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् और सचिव स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
7. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल), अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (सिविल इंजीनियर), अपर सदस्य (सीएंडआईएस), अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (बिजली), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाइयां), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (कार्मिक), अपर सदस्य (रेल भंडार), अपर सदस्य (टी एंड सी), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (निर्माण), अपर सदस्य (एल आरएस), अपर सदस्य (सतर्कता), अपर सदस्य वित्त (व्यय), अपर सदस्य (आईआर), विधि सलाहकार, ओएसडी (एमआईएस) और रेलवे बोर्ड के अन्य अधिकारी एवं शाखाएं.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 2।6

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के अध्याय - I खंड 'ख' के उपखंड III के पैरा 159 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पणी शामिल करें.

" अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवार, जिनके पास रेलवे से संबंधित संगत ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है और यदि वह उस ट्रेड में जिसमें उन्होंने डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता प्राप्त की है, कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त होता है /होती है तो उसे 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त उन उम्मीदवारों के मामले में जिनके पास किसी अन्य ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है, तो उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. व्यावहारिक प्रशिक्षण कक्षाओं में न होकर शॉप फ्लोर (कारखाने) में होगा."

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 24.11.10 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2004/3/8).

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 1/2010

प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली (संस्करण 1998) के परिशिष्ट II की मद सं. VII को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके "एक्ट अप्रेंटिस" | कुछ नहीं |
| (ii) | गैर-रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके "एक्ट अप्रेंटिस" | 6 माह |
| (iii) | डिप्लोमा धारक | 6 माह |
| (iv) | आई.टी.आई पास उम्मीदवार | 6 माह |
| (v) | मैट्रिकुलेट अथवा गैर-तकनीकी उच्च अर्हता प्राप्त | 3 वर्ष |
| (vi) | संगत फील्ड में डिग्री धारक | 6 माह |

" अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवार, जिनके पास रेलवे से संबंधित संगत ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है और यदि वह उस ट्रेड में जिसमें उन्होंने डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता प्राप्त की है, कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त होता है /होती है तो उसे 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त उन उम्मीदवारों के मामले में जिनके पास किसी अन्य ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा/आई टी आई अर्हता है, तो उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. व्यावहारिक प्रशिक्षण कक्षाओं में न होकर शॉप फ्लोर (कारखाने) में होगा."

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक24.11.10 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2004/3/8).